



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2011, शनिवार/अग्रहायण 6—अग्रहायण 12, 1933
No. 49] NEW DELHI, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2011, SATURDAY/AGRAHAYANA 6—AGRAHAYANA 12, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2011

स.का.नि. 327.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में गैर-सांविधिक विभागीय कैटीन में कैटीन परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय, कैटीन परिचर भर्ती नियम, 2011 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान | क्या चयन अथवा अचयन पद है | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|--|---|---|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कैंटीन परिचर | 44* (2011) (*कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है)। | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | पे बैंड-1, ₹ 5200-20200 और ग्रेड पे 1800 रु. | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, पिछर्ड जातियों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए दी गई आयु-सीमा में छूट)। नोट : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि अन्तिम तिथि जब तब रोजगार कार्यालय द्वारा नाम भेजने के लिए कहा गया है। |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | | | | क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
| | (7) | | | (8) | (9) |
| | मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष | | | लागू नहीं | दो वर्ष |
| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | | | | पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जि पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | |
| | (10) | | | (11) | |
| | सीधे भर्ती द्वारा | | | लागू नहीं | |

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?

भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए पुष्टि हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

लागू नहीं ।

1. उप निदेशक, जनगणना कार्य या अवर सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय के समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के लिए जनगणना कार्य निदेशक के संबंधित कार्यालयों के लिए) :—

1. संयुक्त सचिव, जनगणना कार्य अथवा उप निदेशक जनगणना कार्य —अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय के समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. ए-51011/2/2011-प्रशा. V]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General, India)
New Delhi, the 28th November, 2011

G. S. R. 327.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Canteen Attendant in the Non Statutory Departmental Canteens of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, Canteen Attendant (Non Statutory Departmental Canteens) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—The number of the said post, its classification and Pay Band and Grade Pay of pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in. columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of post | Classification | Pay band and Grade Pay or pay scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|--|--|---|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Canteen Attendant | 44* (2011) *(Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | PB-1, ₹ 5200–20200 plus Grade pay Rs. 1800 | Not applicable | Between 18 and 25 years (relaxation of age limit to be provided for the Schedule Casts, the Schedule Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). |
| Note. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. | | | | | |
| Educational and other qualifications required for direct recruits | | | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | |
| (7) | | | (8) | (9) | |
| Matriculation or equivalent from a recognised board | | | Not applicable | Two years | |
| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | | | In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made | | |
| (10) | | | (11) | | |
| By direct recruitment | | | Not applicable | | |
| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | | | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment | | |
| (12) | | | (13) | | |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the office of the Registrar General, India for confirmation) consisting of :— | | | Not applicable. | | |

(12)

- | | |
|--|-----------|
| (1) Deputy Director of Census Operations or Under Secretary Office of the Registrar General, India | —Chairman |
| (2) Assistant Director of Census Operation (Technical) | —Member |
| (3) A Group 'A' officer of another Central Government Office | —Member |

**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the respective
Offices of the Director of Census Operations for confirmation)
consisting of :—**

- | | |
|--|-----------|
| (1) Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations | —Chairman |
| (2) Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical) | —Member |
| (3) A Group 'A' officer of another Central Government Office | —Member |

[F.No. A-51011/2/2011-Ad. V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2011

सा. का. नि. 328.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अभिलेख सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2006 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अभिलेख सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, अभिलेख सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या; उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।